नया इंडिया
राजस्थान
भीलवाड़ा

मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ा परिवार

भीलवाड़ा। जिले के चतरपुरा गांव में प्रेम-प्रसंग से उपजे विवाद ने अब एक गंभीर रूप ले लिया है। हमले में घायल बुजुर्ग जगदीश दरोगा की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा । उदयपुर में उपचार के दौरान जगदीश दरोगा (55) के दम तोड़ने के बाद भीलवाड़ा की मोर्चरी पर दूसरे दिन भी तनाव बना रहा। परिजनों और समाज के लोगों ने प्रशासन के सामने स्पष्ट शर्त रखी है कि जब तक मामले के सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे न तो पोस्टमार्टम होने देंगे और न ही शव उठाएंगे। हालांकि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उपखंड अधिकारी ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अडिग हैं। एहतियात के तौर पर अस्पताल और गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। विवाद 1 फरवरी को तब शुरू हुआ जब हिम्मत सिंह नामक युवक दूसरे समाज की युवती के साथ चला गया। इसके प्रतिशोध में दूसरे पक्ष ने हिम्मत के घर पर हमला, तोड़फोड़ और आगजनी की। बीच-बचाव के दौरान हिम्मत के पिता जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि परिवार की तीन महिलाएं और एक पड़ोसी भी चोटिल हुए थे। पुलिस ने अब तक नारायण गाडरी को जेल भेजा है और दो अन्य आरोपी रिमांड पर हैं, लेकिन परिजन अन्य नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष खटीक का किया अभिनंदन

भीलवाड़ा। गांधी मजदूर सेवालय में इंटक (INTC) से संबद्ध विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष शिवराम खटीक का भव्य अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम संस्था अध्यक्ष कैलाश व्यास और जिला इंटक अध्यक्ष दीपक व्यास के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस दौरान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और संगठनों के पदाधिकारियों ने खटीक को साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया।

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश, बैंक और बीमा सेवाएं रही ठप

भीलवाड़ा ■ संवाद सूत्र

जिले में केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों और कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में बैंक और बीमा कर्मचारियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण जिले की 125 से अधिक बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। हड़ताल का नेतृत्व मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों की यूनियनों (AIBEA, AIBOA, BEFI) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कर्मचारियों ने किया। जिला मुख्यालय पर एलआईसी कार्यालय के बाहर कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन सचिव अशोक कुमार बिड़ला ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन नए श्रम कानूनों को वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय में सभी नौ बैंक संगठनों का संयुक्त मंच (UFBU) मिलकर एक बड़े और निर्णायक आंदोलन का बिगुल फूंकेगा। इस हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर देखने को मिला; नकदी लेनदेन और अन्य बैंकिंग सेवाएं बाधित होने के कारण ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने भी इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया। महासंघ के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार के बजट पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बजट में संविदा कर्मियों, पेंशनभोगियों और नियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जिससे कर्मचारी वर्ग में गहरा रोष व्याप्त है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए 'भारत बंद' और राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर अखिल भारतीय संयुक्त श्रमिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भीलवाड़ा में रैली निकाली गई। विभिन्न श्रमिक संगठनों के सैकड़ों पदाधिकारियों और सदस्यों ने मुखर्जी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। श्रमिक नेताओं का मुख्य आरोप है कि सरकार ने 44 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड) लागू की हैं, जो श्रमिकों के अधिकारों को कुचलकर पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें न्यूनतम मासिक वेतन 30,000 और न्यूनतम पेंशन 10,000 सुनिश्चित करने, रेलवे, बैंक, बीमा, कोयला और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के निजीकरण को तत्काल बंद किया जाए और पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, ठेका प्रथा को समाप्त कर आंगनवाड़ी, आशा सहयोगिनी, मिड-डे मील वर्कर्स और अस्थाई कर्मियों को नियमित करने, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी, और हाल ही में (जनवरी 2026) अमेरिका के साथ किए गए कृषि समझौतों को रद्द करने की मांग की गई। साथ ही, बिजली बिल कानून 2025 और बीज बिल-2025 जैसे विवादास्पद कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन में सीटू, इंटक और एटक सहित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद और बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की।

दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा ■ संवाद सूत्र

जिले के फुलिया कला थाना क्षेत्र के गांव में वर्ष 2019 में हुई दुष्कर्म की घटना में न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भीलवाड़ा ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी हेमराज पुत्र लादूलाल बेरवा निवासी कनेछन कला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए दंडित किया। प्रकरण के अनुसार 19 दिसम्बर 2019 को पीड़िता बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पति ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी धक्का-मुक्की कर वहां से फरार हो गया। बाद में पीड़िता को लेकर परिवादी थाने पहुंचा और लिखित रिपोर्ट दी। पुलिस ने प्रकरण के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़िता के बयान, मेडिकल जांच, घटनास्थल निरीक्षण, जब्ती कार्यवाही तथा धारा 164 के तहत बयान सहित आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका भी मेडिकल कराया गया तथा उसके पहने कपड़े जब्त कर एफएसएल जांच हेतु जयपुर भेजे गए। विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया द्वारा न्यायालय में 13 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 341 में 1 माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 323 में 6 माह का साधारण कारावास व 1,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

फटाफट

पत्थरगढ़ी से पूर्व सीमा ज्ञान के आदेश पर पुनर्विचार को लेकर कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

भीलवाड़ा। जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष उम्मेदसिंह राठौड़, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह राणावत, महासचिव पंकज दाधीच, रेवेन्यू महासचिव मनोहर लाल बुनकर, कोषाध्यक्ष रवि गोरानी, सह सचिव आदित्य सिंह चौहान, पुस्तकालय सचिव प्रताप तेली के निर्देशन मे अधिवक्ताओ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सोपकर मांग की है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व सीमा ज्ञान के आदेश पर पुनर्विचार किया जाये। रेवेन्यू महासचिव बुनकर ने बताया कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट कि धारा 111व 128 के तहत काश्तकार के कृषि आराजी की पत्थरगढ़ी का प्रावधान है जहा आस-पास के पड़ोसियों की उपस्थिति मे पत्थरगढ़ी तहसीलदार द्वारा की जाती है। अभी हाल ही मे जिला कलेक्टर द्वारा एक आदेश इस आशय का पारित किया कि पत्थरगढ़ी से पूर्व सीमा ज्ञान कराया जावे जबकि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111 व 128 मे सीमा ज्ञान कराने का प्रावधान नहीं है तथा ऐसे आदेश से काश्तकारो को अनावश्यक समय एवं धन की क्षति होती है क्योंकि सीमा ज्ञान हेतु प्रस्तुत होने पर अनावश्यक तौर पर पटवारी के यहां चक्कर काटने पड़ेंगे। पटवारी को सरकार द्वारा पहले से ही अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है इस कारण पटवारी अपने कार्यालय पर मिलते भी नहीं है इस कारण काश्तकार को अनावश्यक पीड़ा हो रही है। यह आदेश अत्यंत पीड़ादायक है जबकि पूर्व मे पत्थरगढ़ी की कार्यवाहिया कानूनन रूप से संपादित हो रही है इस कारण इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन देने के दौरान कृष्णगोपाल शर्मा, रणवीर सिंह राणावत, मांगीलाल सेन, सुरेश सुवालका, पीरू सिंह गौड़, योगेश चौधरी, ओम प्रकाश पटवारी, निक्कीबाला अरोड़ा, कन्हैलाल सेन, गायत्री पटवा, ज्योति जागेरिया, सरिता स्वर्णकार, बालूलाल उपाध्याय, पल्लवी गुप्ता, अनुराग आडोत, मीना सोनी, मानवी कुमावत, पूजा नाथ योगी सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।

हवाला कारोबार का भंडाफोड़, 24 लाख से अधिक की नकदी बरामद

भीलवाड़ा ■ संवाद सूत्र

जिले में अवैध गतिविधियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव के निर्देशन में पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़े दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 24 लाख 10 हजार रुपये की भारी भरकम राशि जब्त की है। यह कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पारसमल जैन के सुपरविजन और आयुष श्रोत्रिय (IPS प्रो.) व कोतवाली थानाधिकारी शिवराज गुर्जर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा अंजाम दी गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गोपाल सिंह (उज्जैन, मध्य प्रदेश) और सिद्धराज सिंह (मेहसाना, गुजरात) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, ये दोनों युवक 'कन्गुकांति' के हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से अवैध धन के लेन-देन में संलिप्त थे। घटनाक्रम के अनुसार, 11 फरवरी 2026 को कोतवाली थाने के एएसआई सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान IPS आयुष श्रोत्रिय को सूचना मिली कि गोल प्याऊ चौराहे के पास एक गली में दो संदिग्ध युवक बेग लेकर जा रहे हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में नकदी होने की संभावना है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने महावीर सुगंध वाली गली में घेराबंदी की और दोनों युवकों को डिटेन किया। जब उनके बेग की तलाशी ली गई, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। बेग के अंदर 500 और 200 रुपये के नोटों की गड्डियां ठूंस-ठूंस कर भरी हुई थीं। जब आरोपियों से इस रकम के बारे में पूछताछ की गई और वैध दस्तावेज या लाइसेंस मांगा गया, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वैध रसीद या रजिस्ट्रेशन न होने के कारण पुलिस ने बीएनएसएस के तहत राशि को जब्त कर लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस सफल ऑपरेशन में IPS आयुष श्रोत्रिय, थानाधिकारी शिवराज गुर्जर, एएसआई सुरेश कुमार ओर कांस्टेबल महावीर सिंह, राजेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार व नंदकिशोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सेवामहाकुंभ: कृत्रिम अंगों से लौट रहा दिव्यांगों का स्वाभिमान

भीलवाड़ा। अक्सर कहा जाता है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। भीलवाड़ा की धरा पर भारत विकास परिषद (विवेकानंद शाखा) द्वारा आयोजित 56वां दिव्यांगजन शिविर इसी कथन को चरितार्थ कर रहा है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (जयपुर) और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित यह शिविर सैकड़ों दिव्यांगों के जीवन में स्वाभिमान का नया उजाला लेकर आया है। स्वर्गीय मनीष काबरा की स्मृति में लगा यह शिविर केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का संगम है। शिविर में भावुक कर देने वाले दृश्य देखने को मिले। बरसों से बैसाखियों के सहारे चल रहे लोग जब 'जयपुर फुट' पाकर अपने पैरों पर खड़े हुए, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। हिंडोली के सूर्य प्रकाश ने कृत्रिम पैर लगने के बाद मैदान में मोटरसाइकिल चलाकर यह साबित कर दिया कि यदि सही सहयोग मिले तो शारीरिक अक्षमता बाधा नहीं बनती। शिविर में अब तक 555 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

टूटी सड़क पर केक काटकर किया विरोध प्रदर्शन

भीलवाड़ा ■ संवाद सूत्र

नेता प्रतिपक्ष नगर निगम धर्मेंद्र पारीक के नेतृत्व व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल के सानिध्य में स्थानीय नागरिकों दुकान मालिकों ने मिलकर के होटल हर्ष पैलेस से टूटी सड़क का केक हाथ में लेकर के टूटी सड़क सही करो हमारी मांगे पूरी करो हैप्पी बर्थडे टूटी सड़क के नारे लगाते हुए अगले चौराहे तक पहुंचने के बाद सीवरेज के चेंबर के ऊपर केक काटा और प्रशासन हाय हाय जन प्रतिनिधि हाय हाय के नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक ने संबोधित करते हुए कहा कि अमृत 2 योजना में सड़क को खोदा गया और जो डामर डाली गई पहली बरसात में ही बह गई आज 2 वर्ष होने के बावजूद इस सड़क का दूरीस्तीकरण नहीं किया गया है आमजन परेशान हो रहा है मिट्टी में जीवन जीना पड़ रहा है यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है । प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि वर्तमान में सभी जनप्रतिनिधि धन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं जनता के दुख तकलीफों की उन्हें कोई चिंता नहीं है आज पुराना आरटीओ ऑफिस रोड जो पश्चिम क्षेत्र के आने-जाने नागरिकों की मुख्य सड़क है इस सड़क पर उपमहापौर का कार्यालय भी है इसके बावजूद यह सड़क तैयार नहीं हो रही है जनता मिट्टी और धूल से अस्थमा की शिकार हो रही है टूटी सड़क पर चलने की वजह से स्लिप डिस्क जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रही है प्रशासन से मांग करते हैं कि इस सड़क को तुरंत सही करवाया जाए ।

निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अब 21 को

भीलवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि में संशोधन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी के स्थान पर अब 21 फरवरी को किया जायेगा।

भीलवाड़ा सिंधी समाज से हुआ 81वा नेत्रदान

भीलवाड़ा। सर्व सिन्धी समाज महासभा भीलवाड़ा के प्रवक्ता किशोर लखवानी ने बताया कि पुलिस लाइन निवासी दीवान दास खत्री के आकस्मिक निधन पर सर्व सिन्धी समाज महासभा भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुशलानी, नगर अध्यक्ष परमानंद तनवानी, द्वारा प्रेरित करने पर भ्राता खेमचंद व पुत्र मनोज,कालू,कमल खत्री एवं परिवार ने परोपकार की भावना रखते हुए नेत्रदान का निर्णय लिया एवं नेत्रदान करवाए, इस नेत्रदान की प्रक्रिया को रामस्नेही आई बैंक के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश भदादा के निर्देशन में टीम ने संपूर्ण किया।

बृजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल
आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज.)
+91 1482-297501-2-3 (M) 7300151515

यह सार्वजनिक सूचना अस्पताल में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच भर्ती स्वास्थ्य लाभ के लिए भर्ती हुए रोगियों एवं उनके परिजनों के लिए है। उनका अंतरंग रोगी मेडिकल रिकॉर्ड (एम.एल.सी./जन्म एवं मृतक रोगियों के रिकॉर्ड को छोड़कर) को अस्पताल की नीति और अन्य नियामक मानदंडों के अनुसार नष्ट कर दिया जाएगा।
आप इस अस्पताल में उपरोक्त समयावधि के बीच स्वास्थ्य लाभ के लिए भर्ती हुए थे। और यदि आप भविष्य के संदर्भ के लिए आपका अंतरंग रोगी मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित करने की इच्छा है, तो अनुरोध है कि, इसके लिए उपरोक्त टेलीफोन नम्बर पर अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड विभाग से संपर्क करें या इस नोटिस के प्रेषण की तारीख से 30 दिनों के भीतर bbmhbhl@gmail.com को मेल करें।

आज्ञा से - मेडिकल सुपीटेंडेंट
बृजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पीटल

सूचनार्थ
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण राजस्थान (SEIAA) EC IDENTIFICATION NO. EC25C0108RJ5603857N राज्य स्तरीय पर्यावरण के फाईल नम्बर RJ/25/SEAC-4(06)/MIN/EC/0136 फ्लोकेट सेंड्सूल नम्बर 1(a) माईनिंग विलरब्ल जयपुर दिनांक 09/01/2026 के द्वारा श्री मनीष मीणा, मैनाल, तहसील-बेगू, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) में स्थित Q.L.No.- 03/2024 क्षेत्र 1.593 हेक्टेयर वाले ग्रेनिट सेण्डस्टोन के लिए जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति का पन: मूल्यांकन राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी (SEIAA) के द्वारा करवा लिया है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय व मण्डल की वेबसाइट http://www.environment.gov.in एवं moef की वेबसाईट parivesh.nic.in पर उपलब्ध है।
मनीष मीणा

सूचनार्थ
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण राजस्थान (SEIAA) EC IDENTIFICATION NO. EC24B0108RJ5266662N राज्य स्तरीय पर्यावरण के फाईल नम्बर RJ/24/SEAC-4(06)/MIN/EC/0026 फ्लोकेट सेंड्सूल नम्बर 1(a) माईनिंग मिनरल्स जयपुर दिनांक 05/02/2026 के द्वारा श्री अनंत सिंह राजा मैनाल श्री कृष्णा महुरिया सप्लायर्स, गांव-नयानगर, तहसील-बिजौलिया, जिला- भीलवाड़ा (राज.) में स्थित Q.L.No.- I-02 क्षेत्र 1.4545 हेक्टेयर वाले ग्रेनिट सेण्डस्टोन के लिए जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति का पन: मूल्यांकन राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी (SEIAA) के द्वारा करवा लिया है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय व मण्डल की वेबसाइट http://www.environment.gov.in एवं moef की वेबसाईट parivesh.nic.in पर उपलब्ध है।
आनंद सिंह रावत

टाइटन बायोटेक लिमिटेड
CIN : L74999RJ1992PLC013387
रजि. कार्यालय:- ए-902ए रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज III, भिवाड़ी, राजस्थान-301019
फोन नंबर: 011- 71239900, ईमेल: hrd@titanbiotechltd.com,
वेबसाइट:- www.titanbiotechltd.com

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिए अनअंकेक्षित कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का उद्धरण
(र. लाख में) ईपीएस को छोड़कर

क्रम सं.	विवरण	कंसोलिडेटेड					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	5,776.28	5,567.92	3,986.53	16,066.06	12,381.33	16,036.33
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (टैक्स से पूर्व, असाधारण एवं/या असामान्य मदों से पूर्व)	1,056.21	921.86	510.49	2,789.28	1,933.88	2,436.73
3	अवधि के लिए टैक्स से पूर्व शुद्ध लाभ (असाधारण एवं/या असामान्य मदों के पश्चात)	1,056.21	921.86	510.49	2,789.28	1,933.88	2,436.73
4	अवधि के लिए टैक्स पश्चात शुद्ध लाभ (असाधारण एवं/या असामान्य मदों के पश्चात)	852.86	776.47	439.01	2,315.61	1,748.48	2,153.16
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय (जिसमें अवधि के लिए लाभ (टैक्स पश्चात) तथा अन्य समग्र आय (टैक्स पश्चात) शामिल है) (नोट 3 देखें)	854.69	778.29	443.38	2,321.09	1,761.59	2,160.46
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर-अंकित मूल्य ₹ 10/-)	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37
7	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर अन्य इक्विटी	-	-	-	-	-	14,513.95
8	प्रति शेयर आय (₹ 10/- प्रति शेयर)						
	(क) बेसिक	10.32	9.40	5.31	28.02	21.16	26.06
	(ख) डायल्यूटिड	10.32	9.40	5.31	28.02	21.16	26.06

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैण्डलोन वित्तीय परिणामों का उद्धरण
(र. लाख में) ईपीएस को छोड़कर

क्रम सं.	विवरण	स्टैण्डलोन					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	5,776.28	5,567.92	3,986.53	16,066.06	12,381.33	16,036.33
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (टैक्स से पूर्व, असाधारण एवं/या असामान्य मदों से पूर्व)	1,056.21	921.86	510.49	2,789.28	1,933.88	2,436.73
3	अवधि के लिए टैक्स से पूर्व शुद्ध लाभ (असाधारण एवं/या असामान्य मदों के पश्चात)	1,056.21	921.86	510.49	2,789.28	1,933.88	2,436.73
4	अवधि के लिए टैक्स पश्चात शुद्ध लाभ (असाधारण एवं/या असामान्य मदों के पश्चात)	786.82	686.25	380.19	2,089.15	1,450.50	1,827.11
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय (जिसमें अवधि के लिए लाभ (टैक्स पश्चात) तथा अन्य समग्र आय (टैक्स पश्चात) शामिल है) (नोट 3 देखें)	788.65	688.07	384.56	2,094.63	1,463.61	1,834.41
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹ 10/-)	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37	826.37
7	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर अन्य इक्विटी	-	-	-	-	-	13,686.99
8	प्रति शेयर आय (₹ 10/- प्रति शेयर)						
	(क) बेसिक	9.52	8.30	4.60	25.28	17.55	22.11
	(ख) डायल्यूटिड	9.52	8.30	4.60	25.28	17.55	22.11

नोट्स:-
1. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत बीएसई लिमिटेड में दाखिल किए गए 31.12.2025 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही अवधि के लिए स्टैंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। उक्त तिमाही एवं नौमाही अवधि के लिए स्टैंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा कंपनी की वेबसाइट **www.titanbiotechltd.com** पर उपलब्ध है।
2. 31.12.2025 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही अवधि के लिए उपरोक्त स्टैंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है तथा इन्हें 12 फरवरी, 2026 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संज्ञान में लिया गया है। उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है।
3. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का चयन किया है, जिसे कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, कंपनी ने 31.12.2025 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही अवधि के लिए आयकर हेतु प्रावधान मान्यता दी है तथा उक्त धारा में निर्धारित दर के आधार पर अपने आस्थगित टैक्स शेष का पुनर्मापन किया है।
4. स्टैंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) के अनुरूप तैयार किए गए हैं (जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत हैं)।
5. वर्तमान वर्ष में जीएसटी सहित बिक्री की गणना के उद्देश्य से क्रेट राशि को संचालन से राजस्व में शामिल किया गया है। राजस्व में इसके सम्मिलन के प्रभाव को समतुल्य करने हेतु क्रेट राशि को अन्य व्ययों की कुल राशि में भी जोड़ा गया है।

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 12.02.2026

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
कृते टाइटन बायोटेक लिमिटेड
नरेश कुमार सिंगला
प्रबंध निदेशक
DIN-00027448